समाचार.प्रकाषनार्थरू.

पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण व विक्रय न करें

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्माण व

विक्रय करने वाले व्यापारियों को बैठक में दिये निर्देष

रतलाम 28 फरवरी । नगर के पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माता व विक्रेताओं की निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने एसडीएम श्री राजेष षुक्ला के साथ लेकर पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक से षहर में होने वाली गंदगी के बारे में बताते हुए इनका निर्माण व विक्रय ना करने की समझाईष दी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने आयोजित बैठक में निर्माता व विक्रेताओं से कहा कि पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक एक बार उपयोग करके सड़कए नाले.नालीए सार्वजनिक स्थलों पर फेंक दिया जाता है जिससे नाले.नालियां चॉक होने के साथ षहर में गंदगी होती है।

बैठक में उन्होने निर्देषित किया कि मध्यप्रदेष प्रदूशण बोर्ड द्वारा जारी निर्देषों के तहत वे 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण व विक्रय ना करें जब निर्माण ओर विक्रय ही नहीं होगा तो षहर में कहीं भी गंदगी दिखाई नहीं देगी जिससे स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में रतलाम नगर को उच्चतम रैंकिग प्राप्त होगी।

एसडीएम श्री राकेष षुक्ला ने कहा कि यह षहर आपका है आपके सहयोग से ही रतलाम नगर को स्वच्छता में नम्बर 1 बनाया जा सकता है इस कार्य को करने के लिये इच्छा षक्ति की जरूरत है।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोलंकीए कार्यपालन यंत्री श्री सुरेषचन्द्र व्यासए सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री एण्पीण सिंहए झोन प्रभारी सर्वश्री किरण चौहानए विनय चौहानए धर्मेन्द्र दोगायाए पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माता व विक्रेता सर्वश्री संजय पारखए अर्पित अग्रवालए राहूल पोखरनाए कमलेष

मालपानीए संदीप उपाध्यायए विजय कुमार अग्रवालए संजय कुमारए अरिहन्त थ्रेड एण्ड सेल्सए मनोज जैन जैन पैकेजिंगए संदीप परिहारए प्रतिकए विजय चौहानए मनोज पोपरानीए षेखर जैनए लोकपाल तिवारीए श्रीराम कृपा दालबाटी आदि उपस्थित थे।

नगर निगम के विभिन्न करों से 86ण्95 लाख राजस्व प्राप्त हुआ

रतलाम 28 फरवरी । संपत्तिकरए जलकरए लायसेंसए राजस्वए विकास षाखाए बिल्डिंग परमिषन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करो के तहत 28 फरवरी सोमवार को कुल राषि रूपये 86ए95ए228६. का राजस्व प्राप्त हुआ।

नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 28 फरवरी सोमवार को संपत्तिकर षिविर से 138390ए कार्यालय 333019ए वसूली दल 381504 कुल 852913ए जलकर षिविर 26400ए कार्यालय 69490ए वसूली दल 76900 कुल 172790ए स्पॉट फाईन 6400ए लायसेंस 205ए दुकान गुमटी किराया कार्यालय 2658 वसूली दल 77494 कुल 80152ए लीजरेंट 82768 व कम्पाउडिंग फीस 7500000 इस तरह कुल राषि रूपये 86ए95ए228६. का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।

श्री चौबेए श्री दषोत्तर व श्री भारतीय सेवा निवृत्त

रतलाम 28 फरवरी । नगर निगम लोक निर्माण षाखा के सहायक यंत्री श्री राकेष कुमार चौबेए श्री अरविन्द दषोत्तर व विकास षाखा के भृत्य श्री कैलाष भारतीय की अधिवार्शिकी आयु पूर्ण होने पर निगम के फायर स्टेषन भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में भाव.भीनी विदाई दी गई।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने अपने उद्बोधन में श्री चौबेए श्री दषोत्तर व श्री भारतीय द्वारा अपने सेवाकाल में किये गये कार्यो प्रषंसा करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर श्री चौबेए श्री दषोत्तर व श्री भारतीय को साफा बांधकर व षाल.श्रीफल तथा प्रतीक चिन्ह भेंटकर उनका सम्मान किया गया।

इस अवसर पर उपायुक्त श्री विकास सोलंकीए कार्यपालन यंत्री श्री सुरेषचन्द्र व्यासए श्री मोहम्मद हनीफ षेखए श्री एमण्केण जैनए पूर्व महापौर परिशद सदस्य एवं पार्शद सर्वश्री प्रेम उपाध्यायए गोविन्द काकानीए वहीद सैरानीए सतीष भारतीय सहित निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने श्री चौबेए श्री दषोत्तर व श्री भारतीयका पुश्पहार व पुश्प गुच्छ से स्वागत किया।

नेषनल लोक अदालत का 12 मार्च षनिवार को आयोजन

संपत्तिकर एवं जलकर की बकाया राषि जमा करने पर अधिभार ;सरचार्जद्ध की राषि में छूट

बकायादार 2 स्थानों पर जमा करा सकेंगे बकाया राषि

रतलाम 28 फरवरी । राश्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य षासन के निर्देषानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार ;सरचार्जद्ध में छूट देने हेतु 12 मार्च 2022 षनिवार को नेषनल लोक अदालत के तहत बकाया राषि जमा कराने हेतु नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेषन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में षिविर का आयोजन कार्यालयीन समय में किया गया है।

आयोजित नेषनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 50ए000ध् ;रूपये पचास हजारद्ध तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिषत की छूट दी जायेगी तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 10ए000ध् ;रूपये दस हजारद्ध तक बकाया होने पर 100 प्रतिषत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 50ए000ध् ;रूपये पचास हजारद्ध से अधिक तथा रूपये 1ए00ए000ध् ;रूपये एक लाखद्ध तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण

जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 10ए000६ से अधिक तथा रूपये 50ए000६ तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिषत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 1ए00ए000६ ;रूपये एक लाखद्ध से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिषत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 50ए000६ से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिषत की छूट।

उक्त छूट मात्र एक बार ;व्दम ज्पउम ैमजजसमउमदजद्ध ही दी जायेगी। यह छूट वर्श 2020.21 तक की बकाया राषि पर ही देय होगी। यह छूट मात्र दिनांक 12ध03ध2022 की नेषनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी।

नगर निगम द्वारा संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों से अपील की जाती है कि 12 मार्च 2022 षनिवार को आयोजित एक दिवसीय लोक अदालत के तहत नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेषन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में आयोजित षिविर में उपस्थित होकर बकाया राषि जमा कराकर दी जा रही अधिभार ;सरचार्जद्ध में छूट का लाभ उठावें।

दो दिवस में 1ण्45 मीट्रिक टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 28 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 27 व 28 फरवरी को 1ण्45 मीट्रिक टन कचरा जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

27 व 28 फरवरी को डम्पर से 45250ए टेª क्टर से 21850ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 61995ए काम्पेक्टर गीला कचरा 16815 किलो इस तरह कुल 145910 किलो कचरा जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

21 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा

दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन

बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होगें सेवा से बर्खास्त

रतलाम 28 फरवरी । कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार वार्डो में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवक्षकों द्वारा वार्डो में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत प्रातः 21 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तध्निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की षिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की षिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।

28 फरवरी सोमवार को वार्डो मंे सफाई मित्रों की उपस्थिति के दौरान प्रातः झोन क्रमांक 1 में काकुबाई पति राजूए मनोहर.मदनलालए सुरेष.नेहरूए पुश्पाबाई पति प्रहलादए बरखाबाई पति सुरेषए उमेष.प्रहलादए अनिल.अर्जूनए विजय.फुलचन्दए बादल.दिलीपए राकेष.रतनलालए सचिन.रामसेवकए अजय.विनोदए झोन क्रमांक 2 में सोमदीप.सुरेषए महेन्द्र.नेहरूए राकेष.रामप्रसादए राजेष.षांतिलालए झोन क्रमांक 3 में भुपेन्द्र.हुक्मीचन्दए नरेन्द्र.कन्हैयाए राधाबाई पति कैलाषए झोन क्रमांक 4 में ओमप्रकाष.लड्डू व जितेन्द्र.बेजुलाल इस तरह 21 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तध्निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते है उन्हे सेवा से बर्खास्तध्निलबंन की कार्यवाही की जायेगी।

रात्रीकालिन सफाई के 4 सफाई मित्रों का 1 दिवस का वेतन काटा
सेवा से बर्खास्त किये जाने का जारी किया कारण बताओ सूचना.पत्र
तीन दिवस तक बिना सूचना के अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारी होंगे बर्खास्त

रतलाम 28 फरवरी । षहर को साफ.स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगर की 4 व 2 लेन सड़कए मुख्य सड़केए व्यावसायिक क्षेत्रए प्रमुख चौराहेए उद्यान आदि की रात्रीकालिन सफाई हेतु नियुक्त 100 सफाई मित्रों मे से 4 सफाई मित्रो द्वारा 27 फरवरी रविवार को बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार 1 दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था के तहत 27 फरवरी रविवार को सतीष.रामप्रसादए अमन.रमेषए गौरव.राजेन्द्र व राकेष.रमेष द्वारा बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर 1 दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। बिना सूचना के लगातार तीन दिवस अनुपस्थित रहने वाले सफाई मित्रों को सेवा से बर्खास्त किया जायेगा।

अमानक स्तर की पॉलीथीन उपयोग करने पर 6 दुकानदारों पर जुर्माना
100 मॉईक्रान से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित

रतलाम 28 फरवरी । रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में 100 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक ;प्लास्टिक स्टीक सहित ईयर बर्डए बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिकए प्लास्टिक झण्डेए कैंडी स्टिकए आईस्क्रीम स्टीकए सजावट में उपयोग होने वाले थर्मोकोलए प्लास्टिक प्लेट्सए कपए ग्लासए फोर्कए चम्मचए चाकूए स्ट्राए टे्ए स्वीट बाक्सए निमंत्रण पत्रए सिगरेट पैकेट को कव्हर करने वाली पैकिंग फिल्मए प्लास्टिक स्टिर्रस व 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीबीसी के

बैनरद्ध के उपयोग को मध्यप्रदेष प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड व कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

अभियान के तहत 26 फरवरी को पटेल दूध भण्डार रानीजी का मंदिर पर 1000ए सागर नमकीन रानीजी का मंदिरए श्रीराम प्लास्टिकए नाकोड़ा प्लास्टिकए सागर डिस्पोजल व श्रीजी डिस्पोजल नाहरपुरा पर 500.500 रूपये का जुर्माना कर 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का विक्रय व उपयोग ना करने की समझाईष दी।

रतलाम नगर के समस्त प्लास्टीक ;पॉलीथीनद्ध निर्माताए भण्डारकर्ताए विक्रेताए दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एव ंना ही भण्डारणए विक्रय तथा उपयोग करें। उपरोक्त का उल्लघंन किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

नगर के नागरिकों से अनुरोध है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें एवं इनके स्थान पर कपड़े एवं कागज से निर्मित थैलियों का उपयोग कर नगर को स्वच्छए सुन्दर बनाने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।

ष्वान पालकों को अपने ष्वान का रजिस्ट्रेषन अनिवार्य रूप से करायें

रजिस्ट्रेषन नहीं कराने पर संबंधित के विरूद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही

रतलाम 28 जनवरी । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में ष्वान पालते हैं वे अपने ष्वान का रजिस्टेªषन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस षाख में अनिवार्य रूप से करायें अन्यथा संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत ष्वान पालकों द्वारा अपने ष्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा ष्वान की भांति छोड़ दिया जाा ह तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे ष्वानों एवं ष्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे ष्वान पालक जिन्होने अपने ष्वान का रजिस्टेषन नहीं कराया है उन्हे नगर निगम द्वारा सूचना.पत्र जारी किये जा रहे है रजिस्टे षन नहीं कराने वाले ष्वान पालकों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ष्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस षाखा में प्रति ष्वान पंजीयन षुल्क रूपये 1000ध् एवं लायसेंस षुल्क रूपये 500ध् प्रति ष्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेेतु प्रतिवर्श 100ध् रूपये जमा कराना होगा। ष्वान पालकों को अधिकतम् 2 ष्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

नगर निगम द्वारा ष्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने ष्वान का रजिस्ट्रेषन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस षाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने ष्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

दिलबहार चौराहे पर आज लगेगा निगम का बकाया वसूली षिविर

नगर निगम द्वारा वार्ड वार बकाया वसूली षिविरो का आयोजन

नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए संपत्तिकर 89ण्59 लाख व जलकर 23ण्42 लाख की बकाया राषि जमा कराई

रतलाम 28 फरवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली षिविर आयोजित किये गये है जो 03 मार्च 2022 तक चलेंगे।

आयोजित षिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए जलकरए दुकानए गुमटी किरायाए लायसेंस षुल्क एवं विकास षाखा से संबंधित भवन की किष्त तथा भू.भाटक की बकाया राषि जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित षिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर षिविर में संपत्तिकर 3ए28ए822ध् व जलकर 54ए850ध्.ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा षिविर में संपत्तिकर 1ए62ए575ध् व जलकर 34ए520ध्.ए जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर 3ए02ए013ध् व जलकर 63ए450ध्.ए विनोबा नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए85ए292ध् व जलकर 1ए19ए720ध्.ए अलकापुरी कम्युनिटी हॉल षिविर में संपत्तिकर 3ए20ए857ध् व जलकर 62ए950ध्.ए तिरूपति नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए28ए977ध् व जलकर 28ए870ध्.ए कोमल नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए16ए000ध् व जलकर 14ए000ध्.ए इन्द्रलोक नगर मार्निंग स्टार स्कूल के पास षिविर में संपत्तिकर 2ए51ए600ध् व जलकर 1ए04ए640ध्.ए कस्तुरबा नगर षिविर में संपत्तिकर 8ए61ए206ध् व जलकर 1ए21ए090ध्.ए प्रियदर्षनी नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए14ए000ध् व जलकर 47ए000ध्.ए डोंगरे नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए54ए422ध् व जलकर 83ए700ध्.ए हाट रोड षिविर में संपत्तिकर 1ए71ए500ध् व जलकर 27ए540ध्.ए कलीमी कालोनी षिविर में संपत्तिकर 1ए96ए281ध् व जलकर 40ए240ध्.ए राजेन्द्र नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए45ए000ध् व जलकर 31ए760ध्.ए काटजू नगर षिविर में संपत्तिकर 3ए36ए077ध् व जलकर 72ए440ध्.ए वेदव्यास कालोनी षिविर में संपत्तिकर 98ए534ध् व जलकर 37ए465ध्.ए कल्याण नगर षिविर में संपत्तिकर 87ए732ध् व जलकर 36ए660ध्.ए दीनदयाल नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए91ए455ध् व जलकर 92ए125ध्.ए बोहरा बाखल षिविर में संपत्तिकर 4ए97ए298ध् व जलकर 64ए770ध्.ए रामगढ़ षिविर में संपत्तिकर 1ए59ए241ध् व जलकर 28ए140ध्.ए लक्कड़पीठा षिविर में संपत्तिकर 6ए11ए920ध् व जलकर 1ए56ए600ध्.ए धानमण्डी षिविर में संपत्तिकर 3ए60ए338ध् व जलकर 1ए67ए280ध्.ए किरण टॉकिज षिविर में संपत्तिकर 3ए89ए541ध् व जलकर 76ए625ध्.ए आनन्द कालोनी षिविर में संपत्तिकर

1ए20ए807ध् **व जलकर** 37ए520ध्.ए **प्रताप नगर षिविर में संपत्तिकर** 1ए91ए836ध् **व जलकर** 72ए860ध्.ए **महावीर नगर षिविर में संपत्तिकर** 87ए741ध् **व जलकर** 37ए140ध् **पैलेस रोड षिविर में संपत्तिकर** 2ए81ए036ध् **व जलकर** 89ए570ध्.ए **चौगानिया भैरू मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर** 91ए157ध् **व जलकर** 46ए510ध्.ए **सायर चबुतरा षिविर में संपत्तिकर** 1ए62ए036ध् **व जलकर** 1ए05ए060ध्.ए **चौमुखी पुल षिविर में संपत्तिकर** 5ए20ए421ध् **व जलकर** 1ए62ए610ध्.ए **बजाजखाना षिविर में संपत्तिकर** 3ए19ए606ध् **व जलकर** 98ए030ध्.ए **षास्त्रीनगर षिविर में संपत्तिकर** 4ए48ए489ध् **व जलकर** 1ए10ए940ध्.ए **दो बत्ती षिविर में संपत्तिकर** 55ए362ध् **व जलकर** 1ए17ए915ध् **की राषि जमा कराई।**

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली षिविरो के वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 **व** 34 **के लिये** 1 **से** 3 **मार्च तक स्टेषन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में षिविर आयोजित किये गये है।**

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त षिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित षिविरों में बकायादार अपनी बकाया राषि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

3141 **हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए**

स्वरोजगार ऋण से 112 **हितग्राही हुए लाभान्वित**

पथ विक्रेता 10 **व** 20 **हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें**

रतलाम 28 **फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यषील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विषेश**

अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु 2636 हितग्राहियों को राषि रूपये 10ए000झ तथा द्वितीय कार्यषील पूंजी हेतु 205़ हितग्राहियों को राषि रूपये 20ए000झ ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 107 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 5 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।
पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवष्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही
15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राषि होगी वसूल

रतलाम 28 फरवरी । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोडए सागोद रोडए महू रोडए स्टेषन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जायेगी।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देषित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जाये।
नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 28 फरवरी । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिश्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 28 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देषित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिष्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देषित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि दोनो

पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कषॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देषित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 28 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले. नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।
वार्डो की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।
समाचारध्जण्संण्विण्ध्हेमन्तध्28ण्02ण्2022ध्नण्पाण्निगमए रतलामण्